The Hindu Plus Summary : 22.02.2024

मेन्स मास्टर

भेदभाव ख़त्म करना

प्रसंग:

• **सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:** भारत के सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को शादी करने पर दंडित करने के नियमों को असंवैधानिक घोषित करते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण और मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया। यह ऐतिहासिक फैसला सेलिना जॉन के मामले में आया, जो एक पूर्व अधिकारी थी जिसे 1988 में केवल उसकी शादी के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

• **चल रही लड़ाई पर प्रकाश डालना:** यह निर्णय भारतीय कार्यबल में लैंगिक समानता के लिए चल रही लड़ाई को रेखांकित करता है। महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

◦ **कार्यस्थल पर भेदभाव:** पक्षपातपूर्ण नौकरी साक्षात्कार, विवाह और मातृत्व के बारे में प्रश्न, और कामकाजी माताओं के लिए सहायता प्रणालियों की कमी।

◦ **असमान अवसर:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए, जिसके कारण जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ता है और उच्च शिक्षा या नेतृत्व की भूमिका निभाने की संभावना कम हो जाती है।

पृष्ठभूमि:

• **बेहद खराब कार्यबल भागीदारी दर:** भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर मात्र 19.9% है, जो कार्यबल में महिलाओं के महत्वपूर्ण कम प्रतिनिधित्व को उजागर करती है।

• **प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड:** गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंड अक्सर महिलाओं के करियर पर घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है, पारंपरिक भूमिकाएं चुननी पड़ती हैं और पेशेवर आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

• **वैश्विक लैंगिक समानता अंतर:** संयुक्त राष्ट्र का लैंगिक स्नैपशॉट 2023 एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, जो दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में वैश्विक प्रगति पिछड़ रही है। रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि महिलाओं की अगली पीढ़ी असंगत घरेलू काम का बोझ उठाना जारी रखेगी और जब तक सुधार के उपाय नहीं किए जाते, तब तक नेतृत्व की स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व कम रहेगा।

लैंगिक रूढ़िवादिता से लेकर लैंगिक न्याय तक:

• **ऐतिहासिक फैसले का महत्व:** सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेदभावपूर्ण नीतियों को खत्म करने और कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संगठनों की आवश्यकता पर बल देता है:

◦ **लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करें:** भर्ती प्रथाओं को संशोधित करें, साक्षात्कार के दौरान भेदभावपूर्ण प्रश्नों को खत्म करें, और महिलाओं के लिए सहायक कार्य वातावरण बनाएं।

◦ **समान अवसरों को बढ़ावा देना:** सभी लिंगों के लिए शिक्षा, संसाधनों और करियर में उन्नति के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना।

◦ **समावेशी कार्यस्थलों को प्राथमिकता दें:** लिंग की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों के लिए सम्मान, विविधता और समान अवसर की संस्कृति को बढ़ावा दें।

जाने के लिए एक लंबी सड़क:

• **चुनौतियाँ बनी हुई हैं:** हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला प्रगति का प्रतीक है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

◦ **प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता:** गहराई तक व्याप्त सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

◦ **सहायता प्रणालियों का अभाव:** किफायती और सुलभ बाल देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सहायता प्रणालियों की अनुपस्थिति कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनी हुई है।

◦ **योजनाओं का सीमित कार्यान्वयन:** महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी योजनाओं को कार्यान्वयन में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका प्रभाव न्यूनतम हो जाता है।

आखरी मील:

• **कार्रवाई का आह्वान:** सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी हितधारकों के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है:
◦ **संगठन:** ऐसी नीतियों और प्रथाओं को लागू करें जो लैंगिक समानता को बढ़ावा दें और समावेशी कार्यस्थल बनाएं।
◦ **सरकार:** उन नीतियों और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें जो भेदभावपूर्ण मानदंडों को खत्म करते हैं, लिंग अंतर को पाटते हैं, और शिक्षा, कौशल विकास और सहायता प्रणालियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं।
◦ **समाज:** पारंपरिक लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दें, समान अवसरों की वकालत करें और लैंगिक सम्मान और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष:

लैंगिक अंतर को पाटने और सच्चे लैंगिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सकारात्मक कदम है लेकिन यह वास्तव में एक न्यायसंगत समाज की ओर एक लंबी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है जहां महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग ले सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं।

प्रकृति के साथ एक अघोषित युद्ध

प्रसंग:

• केरल के वायनाड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें विशेष रूप से जंगली हाथी शामिल हैं।

• हाल की दुखद घटनाओं, जिनमें दो व्यक्तियों की मौत भी शामिल है, ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस जटिल मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला है।

पृष्ठभूमि:

• भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में हाथी गलियारों में उल्लेखनीय कमी आई है।

• इसके परिणामस्वरूप आवास खंडित हो गए हैं, जिससे हाथियों को भोजन और पानी की तलाश में कृषि भूमि और मानव बस्तियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

• पिछले दस वर्षों में वायनाड में 51 मानव मौतों और जंगली जानवरों द्वारा 8,873 हमलों की चौंकाने वाली संख्या देखी गई है, जिससे क्षेत्र को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष क्यों:

पर्यावास हानि और विखंडन:

• विकास परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई, नीलगिरी और बबूल जैसे मोनोकल्चर वृक्षारोपण और पर्यटन विस्तार के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हुआ है।

• इन गतिविधियों ने हाथियों के गलियारों को खंडित कर दिया है, उनके आंदोलन के पैटर्न को बाधित कर दिया है और उन्हें मानव-प्रभुत्व वाले परिदृश्यों में मजबूर कर दिया है

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का ह्रास:

• कृषि और अनुबंध खेती के लिए वन भूमि के रूपांतरण ने प्राकृतिक संसाधन चक्र को बाधित कर दिया है।

• इससे पारिस्थितिकी तंत्र की मनुष्यों और वन्यजीवों दोनों का समर्थन करने की क्षमता कमजोर हो गई है, जिससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और मानव-पशु संपर्क में वृद्धि हुई है।

अस्थिर पर्यटन:

• वायनाड में पर्यटन के तेजी से विकास के परिणामस्वरूप जंगल के किनारों और हाथी गलियारों के पास रिसॉर्ट्स और पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है।

• यह बढ़ी हुई मानवीय गतिविधि वन्यजीवों के व्यवहार को बाधित करती है, आक्रामक पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देती है, और निवास स्थान के क्षरण में योगदान करती है।

विदेशी बागान:

• यूकेलिप्टस और बबूल जैसी आक्रामक प्रजातियों के आने से जल संसाधनों और देशी पौधों की कमी हो गई है, जिससे हाथियों और अन्य वन्यजीवों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता सीमित हो गई है।

संघर्ष शमन के समाधान:

पर्यावास बहाली:

• मौजूदा जंगलों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर वन बहाली परियोजनाओं को लागू करें, ख़राब भूमि को पुनर्जीवित करें, और खंडित आवासों को जोड़ने के लिए वन्यजीव गलियारे बनाएं।

• यह हाथियों और अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा, जिससे उन्हें मानव बस्तियों में जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

स्थायी पर्यटन:

• जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के लिए नियम विकसित करें और लागू करें जो वन्यजीवों के लिए परेशानी को कम करें और पर्यावरण-अनुकूल संचालन को प्राथमिकता दें।

• सुरक्षित दूरी से वन्यजीवों को देखने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करें और पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दें।

सामुदायिक व्यस्तता:

• संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों को सक्रिय रूप से शामिल करें।

• इसमें शैक्षिक कार्यक्रम, समुदाय-आधारित निगरानी पहल और सहयोगात्मक निर्णय लेने की प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाधान सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और प्रभावी हैं।

प्रभावी निगरानी:

• जानवरों की आवाजाही पर नज़र रखने और संभावित संघर्षों की भविष्यवाणी करने के लिए रेडियो कॉलर और समर्पित टीमों का उपयोग करके वन्यजीव निगरानी प्रणालियों में सुधार करें।

• इस जानकारी का उपयोग समुदायों को सचेत करने और मानव-वन्यजीव मुठभेड़ों से बचने के लिए निवारक उपायों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

सख्त प्रवर्तन:

• अवैध वनों की कटाई और वन्यजीवों के आवासों को प्रभावित करने वाली अस्थिर विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

• वन्यजीवों को प्रभावित करने वाली किसी भी विकास परियोजना के लिए निःशुल्क और पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) के सिद्धांत को लागू करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय समुदायों को उनके जीवन और परिवेश को प्रभावित करने वाले निर्णयों में हिस्सेदारी मिले।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• स्थिति का व्यापक आकलन करने और स्थायी समाधान विकसित करने के लिए वन, राजस्व और पर्यटन विभागों को शामिल करने वाला एक सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है।

• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय की स्थापना से राज्यों में संरक्षण प्रयासों के समन्वय की सुविधा मिल सकती है, जिससे इस क्षेत्रीय मुद्दे के समाधान के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सकेगा।

• केरल वन विभाग को वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। इसके लिए प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को लागू करने, वन बहाली को प्राथमिकता देने और स्थायी समाधान खोजने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है।

राज्यों के बीच वित्तीय हस्तांतरण पर

प्रसंग:

• वर्तमान वित्तीय हस्तांतरण योजना के तहत कर राजस्व के कथित अनुचित हिस्से को लेकर कई विपक्षी शासित राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में चिंताएं बढ़ रही हैं। ये चिंताएँ संसाधनों के वितरण का पुनर्मूल्यांकन करने और अधिक न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

वित्त आयोग (एफसी):

• संविधान द्वारा स्थापित, एफसी एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र की गई शुद्ध कर आय को केंद्र और राज्यों (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) के बीच वितरण की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।

• यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन (क्षैतिज हस्तांतरण) को निर्धारित करता है, जिसका लक्ष्य संसाधन वितरण में समानता और दक्षता के बीच संतुलन हासिल करना है।

हस्तांतरण की आवश्यकता:

आर्थिक गतिविधि के संचालक के रूप में राज्य:

• **राजस्व सृजन:** जबकि केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण कराधान शक्तियां हैं, राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य भारत की जीडीपी में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जो कुल राजस्व का लगभग 40% उत्पन्न करते हैं। यह आर्थिक विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

• **विविध पोर्टफोलियो:** राज्य सरकारें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे के विकास और कानून व्यवस्था सहित विविध प्रकार की जिम्मेदारियों का प्रबंधन करती हैं। इन क्षेत्रों का कुशल प्रबंधन लाखों नागरिकों के जीवन और आजीविका पर सीधा प्रभाव डालता है।

व्यय बोझ और संसाधन बाधाएँ:

• **बड़ी जिम्मेदारियाँ:** राष्ट्रीय रक्षा और विदेश नीति पर केंद्र सरकार के फोकस की तुलना में, राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं पर खर्च का बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। इन क्षेत्रों को सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

• **सीमित संसाधन:** भारी व्यय बोझ उठाने के बावजूद, राज्यों को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सीमित कर-बढ़ाने की शक्तियां और धन के लिए केंद्र पर निर्भरता उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और बढ़ती मांगों को पूरा करने की उनकी क्षमता में बाधा बन सकती है।

समीकरण को संतुलित करने में एफसी की भूमिका:

• **असंतुलन को संबोधित करना:** वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर संसाधनों के उचित वितरण की सिफारिश करके राजस्व सृजन और व्यय के बीच अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे राजकोषीय असंतुलन को दूर करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

• **विकास को बढ़ावा देना:** संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करके, एफसी संतुलित राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। अधिक वित्तीय संसाधनों वाले राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने नागरिकों के जीवन में सुधार कर सकते हैं।

अतिरिक्त मुद्दो पर विचार करना:

• **राजकोषीय संघवाद:** एक मजबूत और स्वस्थ संघीय प्रणाली के लिए वित्तीय संसाधनों और स्वायत्तता के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। हस्तांतरण इस संतुलन को बनाए रखने और राज्यों को राष्ट्रीय विकास में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने में मदद करता है।

• **नागरिक केंद्रितता:** अंततः, राज्यों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने से देश भर में नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी और जीवन स्तर में सुधार होता है। संसाधन की कमी को दूर करके, हस्तांतरण अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज में योगदान देता है।

• **वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे:**

1. उपकर और अधिभार का बहिष्कार:

• प्रभाव: यह बहिष्करण राज्यों को वितरण के लिए उपलब्ध समग्र संसाधनों को काफी कम कर सकता है। अनुमान बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार संग्रह उसकी सकल कर प्राप्तियों का 23% तक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि एकत्रित कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्यों तक नहीं पहुंचता है।

• चिंताओं:

  ◦ अन्याय: राज्यों का तर्क है कि वे इन करों को उत्पन्न करने में योगदान देते हैं, फिर भी उनके आवंटन और उपयोग में उनका कोई योगदान नहीं है।

  ◦ अपारदर्शिता: उपकर और अधिभार लगाने और उपयोग करने के मानदंड अक्सर अपारदर्शी होते हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।

  ◦ कम संसाधन: इन फंडों को बाहर करने से राज्यों की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

2. कर अंशदान पर असमान रिटर्न:

• डेटा: अध्ययन विभिन्न राज्यों के लिए कर योगदान पर रिटर्न में महत्वपूर्ण असमानताएं दिखाते हैं। कुछ औद्योगिक रूप से विकसित राज्य, जहां कई निगमों का मुख्यालय है, अपने योगदान के लिए प्रत्येक रुपये के लिए ₹1 से कम प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य, विशेष रूप से बड़ी आबादी और सीमित औद्योगिक गतिविधि वाले, अधिक प्राप्त करते हैं।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

- कारण:
  - जीएसटी कार्यान्वयन: गंतव्य-आधारित कर जीएसटी में बदलाव से उच्च उत्पादन वाले राज्यों की तुलना में अधिक खपत वाले राज्यों को लाभ हो सकता है।
  - कर प्रयास: कुशल कर संग्रह प्रणाली वाले राज्यों को आनुपातिक रिटर्न नहीं मिल सकता है यदि मानदंड कर प्रयास को पर्याप्त रूप से नहीं आंकते हैं।
- नतीजे:
  - दक्षता को हतोत्साहित करता है: यदि राज्यों को स्पष्ट लाभ नहीं दिखता है तो उन्हें कर संग्रह में सुधार करने से हतोत्साहित किया जा सकता है।
  - क्षेत्रीय असंतुलन: इससे विकसित और कम विकसित राज्यों के बीच अंतर बढ़ जाता है।

3. दक्षिणी राज्यों की घटती हिस्सेदारी:

• प्रवृत्ति: विश्लेषण हाल की एफसी सिफारिशों में दक्षिणी राज्यों के लिए विभाज्य पूल की घटती हिस्सेदारी का संकेत देता है। इस गिरावट का कारण यह हो सकता है:
  - बदलते मानदंड: क्षैतिज हस्तांतरण में आय अंतर और जनसंख्या जैसे कारकों को दिया गया बढ़ा हुआ महत्व उच्च प्रति व्यक्ति आय और छोटी आबादी वाले राज्यों को नुकसान पहुंचा सकता है।
  - स्टेटिक फॉर्मूला: मौजूदा फॉर्मूला विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि और विकास में गतिशील परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं कर सकता है।

- प्रभाव:
  - अविकसितता: सीमित संसाधन इन राज्यों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों, सामाजिक विकास लक्ष्यों और आर्थिक विकास को संबोधित करने की क्षमता में बाधा बन सकते हैं।
  - पूर्वाग्रह की धारणा: इससे हस्तांतरण प्रक्रिया में संभावित पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और असंतोष बढ़ता है।

4. भिन्न-भिन्न सहायता अनुदान:

• अनुदान के प्रकार: एफसी विभिन्न सहायता अनुदानों की सिफारिश करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - राजकोषीय अंतर को पाटने के लिए राजस्व घाटा अनुदान।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान।
  - विशेष आवश्यकताओं या चुनौतियों के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदान।

- चिंताओं:
  - आवंटन में असमानता: अनुदान आवंटन के मानदंड और सूत्र विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त राशि में महत्वपूर्ण भिन्नताएं पैदा कर सकते हैं, जिससे स्थिरता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
  - पारदर्शिता का अभाव: अनुदान राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव हो सकता है, जिससे निष्पक्षता और संभावित पूर्वाग्रहों के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं।
  - सीमित प्रभाव: अपर्याप्त निगरानी और जवाबदेही तंत्र के कारण अनुदान की प्रभावशीलता बाधित हो सकती है।

- **आगे बढ़ने का रास्ता:**

• विभाज्य पूल का विस्तार: विभाज्य पूल में उपकर और अधिभार के एक हिस्से को शामिल करने से राज्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध समग्र संसाधनों में वृद्धि होगी, जो वर्तमान सीमाओं को संबोधित करेगा।
• दक्षता के लिए वेटेज बढ़ाना: जबकि वर्तमान मानदंड जनसंख्या और आय असमानता जैसे कारकों पर विचार करते हैं, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयास जैसे दक्षता मापदंडों के लिए वेटेज बढ़ाने से राज्यों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और संसाधनों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
• एफसी में राज्य की भागीदारी: एफसी के संविधान और कार्यप्रणाली में भाग लेने के लिए राज्यों के लिए एक अधिक औपचारिक तंत्र स्थापित करने से हस्तांतरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, विश्वास और स्वामित्व को बढ़ावा मिल सकता है।
• स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना: राज्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी और जवाबदेह विकास को सक्षम करने के लिए संसाधनों को सक्रिय रूप से विकसित करने और पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता के साथ स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

वित्तीय हस्तांतरण के साथ मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। सुझाए गए सुधारों को लागू करना, जिसमें विभाज्य पूल का विस्तार करना, दक्षता मानदंड बढ़ाना और एफसी में राज्य की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है, संसाधनों के अधिक न्यायसंगत और संतुलित वितरण में योगदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पूरे देश में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय निकायों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

एक साथ काम करके, केंद्र और राज्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वित्तीय हस्तांतरण क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और समग्र राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाए।

प्रीलिम्स बूस्टर

खगोलविदों को वे छोटे, गर्म हीलियम तारे मिले जिनकी उन्हें तलाश थी

- 🌟 खगोलविदों ने तारों के एक अनूठे वर्ग की खोज की है - हीलियम से ढके गर्म और अपेक्षाकृत छोटे गोले - जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि यह काफी सामान्य है लेकिन अब तक नहीं मिला था, यह सबूत प्रदान करता है कि अंतर्निहित सिद्धांत वैध हैं और नए दरवाजे खोल रहे हैं ब्रह्मांड पर उनके विविध प्रभावों को समझना।
- 🔭 टोरंटो विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर मारिया ड्राउट के नेतृत्व में, शोध दल ने सात साल तक बड़े पैमाने पर हजारों सितारों को सूचीबद्ध करने और विभिन्न मान्यताओं का परीक्षण करने के बाद इन सितारों को पाया, अंततः बाइनरी सिस्टम में इन सितारों की आबादी की खोज की।
- 💫 जर्नल साइंस में प्रकाशित टीम के निष्कर्षों से पता चला कि ये तारे गर्म, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले, हीलियम युक्त और हाइड्रोजन-विहीन तारे हैं जो बाइनरी सिस्टम का भी हिस्सा हैं, जो मौजूदा खगोल भौतिकी सिद्धांतों की भविष्यवाणियों का समर्थन करते हैं और इस पर प्रकाश डालते हैं। उनके जीवन को हाइड्रोजन-गरीब सुपरनोवा के रूप में समाप्त करने की क्षमता है जो न्यूट्रॉन सितारों नामक अल्ट्रा-घने गेंदों को पीछे छोड़ देते हैं, जो अंततः शक्तिशाली किलोनोवा विस्फोटों में टकरा सकते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलती हैं।

- भारत, **दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक,** 🍌 ने रूसी बाजार में एक अवसर का लाभ उठाया है क्योंकि मुंबई स्थित एक निर्यातक ने इसका लाभ उठाते हुए समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत से 20 टन (1540 बक्से) केले की खेप रूस भेजी है। रूसी बाज़ार में इक्वाडोर द्वारा बनाई गई जगह।
- इस खेप की एक उल्लेखनीय विशेषता केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान के सहयोग से **एपीडा** द्वारा विकसित समुद्री प्रोटोकॉल है, जिसका उद्देश्य पारगमन में फल की गुणवत्ता बनाए रखना है।

अमूल के 50 वर्ष

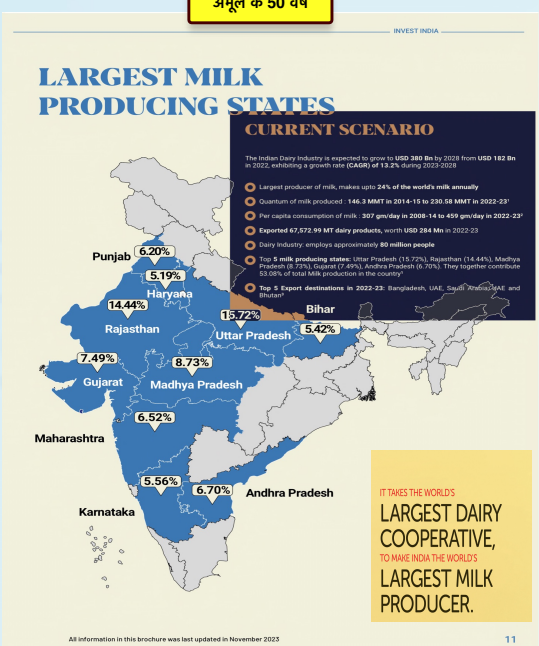

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org